न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 04/2016

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 — प्रार्थी

बनाम

नेतराम पुत्र बुलाराम अहीर साकिन सिलारपुर तहसील बहरोड, जिला अलवर — अप्रार्थीगण
(वारिसान–कमलादेवी पत्नी नेतराम, सुनीतादेवी पुत्री नेतराम, बस्तीराम, सत्यनारायण पुत्र नेतराम अहीर साकिन सिलारपुर, तहसील बहरोड, जिला अलवर)

उपस्थिति :

1. राजस्थान सरकार – पैरोकारराज
2. श्री विनोद नाथ – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 10–07–2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 20–09–2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 19–06–2004 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, रामगढ–1 के चक 10 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 70/13 में 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा इसके पश्चात उक्त आवंटित भूमि बायोड्रेनेज श्रेणी में आरक्षित होने के कारण दिनांक 15–3–2007 को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 6–7 बीएनजे के मु0नं0 35/53 में 24–05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आवंटन पत्रावली में भूमि आवंटन की लॉटरी की पर्ची संलग्न नहीं है जिससे आवंटन ही संदिग्ध हो जाने से आवंटन निरस्त योग्य है। मूल आवंटन बायोड्रेनेज भूमि का किया गया था जो आवंटन योग्य नहीं था।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

पैरोकारराज सरकार ने उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 15–03–2007 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 6–7 बीएनजे के मु0नं0 35/53 में 24–05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार दिनांक 15–03–2007 को किये गये आवंटन को नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण के वकील ने उपस्थित होकर बहस की। बहस के अनुसार अप्रार्थी श्री नेतराम साकिन सिलारपुर तहसील बहरोड, जिला अलवर राजस्थान का मूल निवासी था

तथा पेशे से सद्भावी काश्तकार था। भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर राज्य सरकार की नीति एवं नियमानुसार कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व पात्रता के आधार पर दिनांक 19–6–2006 को उपनिवेशन तहसील, रामगढ–1 के चक 10 एसएलडी के मु0नं0 70/13 में 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटित भूमि बायोड्रेनेज श्रेणी में आरक्षित होने के कारण दिनांक 15–03–2007 को भूतपूर्व सैनिक श्री नेतराम को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 6–7 बीएनजे के मु0नं0 35/53 में 24–05 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को डबल आवंटन होने के कारण ऐसे अलाटियों को अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार ही अप्रार्थी को सक्षमता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की जानी थी जो की गयी। यह प्रकरण डबल आवंटन होने के कारण अन्य भूमि का आवंटन करने का है। विनिमय का प्रकरण नहीं बनता है। इस कारण नोटिस खारिज योग्य है। डबल आवंटन के प्रकरण विनिमय समिति में रखे जाने का दायित्व आवंटन अधिकारी का है। यह कार्य अलोटी द्वारा नहीं किया जाता है अपितु कार्यालय द्वारा संचालित एवं संरक्षित होता है जिस पर अलोटी का किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं होता है। आफिशियल मिस्टेक के लिये पार्टी को पेनेलाईज नहीं किया जा सकता। नोटिस में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि उक्त आवंटन अगेंस्ट लॉ कैसे हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व निरस्त योग्य है। धारा 22 के नोटिस में कारण अंकित किये है वो केवल तकनीकि बिन्दु है तथा उक्त कार्रवाई कार्यालय से संबंधित है अप्रार्थी से नहीं। इस कारण टेक्नीकल बिन्दु पर उक्त आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। RULE 14(4) The completion of formalities is the responsibility of the revenue staff and it is for the concerned officers to ensure that all formalities have been completed (before an application is considered for allotment) where the allottee has committed no fraud nor has he made any misrepresentative his old allotment cannot be cancelled on mere technicalities. वकील अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण विनिमय का मानकर श्रीमान द्वारा कार्रवाई की जा रही है जबकि विनिमय का अर्थ एक्सचेंज से है। एक्सचेंज की परिभाषा आवंटन नियम, 1954 की धारा 12 में दिया गया है। धारा 12 के मुताबिक उक्त प्रकरण उस परिधि में नहीं आता है। इस कारण जो कार्रवाई की गई है वो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया है कि आवंटन हुए 6–7 वर्ष हो गये है। अब इतने वर्षों के बाद में धारा 22(3) की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहां मियाद नहीं दी गयी है वहां धारा 137 मियाद अधिनियम के तहत 3 वर्ष की अवधि मानी जाती है। भूमि का अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा किश्त भी जमा करवा दी गयी है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार को इस आवंटन की कोई अनियमितता नजर नहीं आई है। अब उस आवंटन आदेश इतने लम्बे अन्तराल के बाद धारा 22(3) की कार्रवाई की गई है। अब तहसीलदार डॉक्टरीन ऑफ एस्टोपल से बाधित है। आवंटन पूर्व में हुए आवंटन की एवज में किया गया है। इस कारण बार–बार सलाहकार समिति की राय नहीं ली जा सकती। दिनांक 15–03–2007 को किया गया आवंटन, पूर्व आवंटन के बदले में अन्यत्र भूमि का है। अतः नियम 22(3) प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकारराज व अप्रार्थीगण के वकील की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

राज्य पक्ष द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नियम 22(3) के प्रार्थना पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है जिसके संबंध में संबंधित रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है कि मूल आवंटन विधिसम्मत है उक्त प्रकरण दोहरे आवंटन का है व प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर आवंटन करने का दायित्व आवंटन अधिकारी का है। इसमें आवंटी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें आवंटी की कोई गलती या दोष नहीं है। आर0आर0डी0

1993 पृष्ठ 801 अपील संख्या 193, 194 RULE 14(4) The completion of formalities is the responsibility of the revenue staff and it is for the concerned officers to ensure that all formalities have been completed (before an application is considered for allotment) where the allottee has committed no fraud nor has he made any misrepresentative his old allotment cannot be cancelled on mere technicalities. प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण मे लागू होता है। मूल आवंटन दिनांक 19–06–2004 को किया गया। तत्पश्चात यह संपूर्ण रकबा बायोड्रेनेज श्रेणी में आरक्षित होने से दिनांक 15–03–2007 को आवंटन किया गया है। यहां यह बिन्दु भी विचारणीय है कि राज्यपक्ष द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ लिमिटेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22(3) जिसकी मियाद आवंटन से अथवा जानकारी से 30 दिन कानूनी है परन्तु लगभग 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। पैरोकारराज द्वारा कोई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है कि आवंटी आवंटन हेतु पात्रता नहीं रखता है। आवंटी भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखता था। आवंटी को भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित भूमि में से ही आवंटन किया गया है।

चूंकि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है जिनको देश की सुरक्षा के उपलक्ष्य में व सेवानिवृति के बाद उक्त कृषि भूमि आवंटित की गई है। आवंटी को मूल आवंटन की आड में विनिमय में दी गई भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रक्रियात्मक भूल त्रुटि की वजह से प्रकरण खारिज कर देना न्यायोचित नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार, सारहीन एवं मियाद बाहर होने के आधार पर निरस्त किया जाता है तथा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–03–2007 को यथावत रखा जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 15–03–2007 को किये गये दोहरे आवंटन की नियमानुसार पुष्टि आगामी आवंटन सलाहकार समिति में करवाई जाकर खातेदारी संबंधी कार्रवाई की जावे।

निर्णय दिनांक 10–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर